



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 12.07.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 512/2023 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्तों को चोरी किये गये इन्वर्टर एवं बैटरी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.11.2023 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र ओमकार सिंह निवासी मवाना रोड, गंगानगर जनपद मेरठ ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी भोगपुर खदरी के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है तथा दुर्गा विहार कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर में किराये के मकान में रह रहा है । दिनांक 11.11.2023 को वादी दीपावली पर घर गया था तथा दिनांक 17.11.2023 को वापस आकर देखा तो उसके किराये के कमरे से अज्ञात अभियुक्त द्वारा इन्वर्टर – बैटरी, एलईडी टी0वी0, नगदी एवं आभूषण चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 512/2023 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में 1.शाह आलम पुत्र खुर्शीद 2.नाजिम पुत्र हसमुद्दीन निवासीगण ग्राम जीत्तनपुर उर्फ दीत्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी के अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.शाह आलम पुत्र खुर्शीद 2.नाजिम पुत्र हसमुद्दीन निवासीगण ग्राम जीत्तनपुर उर्फ दीत्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया गया इन्वर्टर एवं बैटरी बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि यह इन्वर्टर व बैटरी हम दोनो ने करीब 08 माह पहले दुर्गा विहार कॉलोनी से बन्द पडे मकान के अन्दर से चुराया था तथा कुछ आभूषण व नगद रुपये भी चुराये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.शाह आलम पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम जीत्तनपुर उर्फ दीत्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.नाजिम पुत्र हसमुद्दीन निवासी ग्राम जीत्तनपुर उर्फ दीत्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 बैटरा व 01 इन्वर्टर

अभियुक्त शाह आलम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 145/2023 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 323/354/498ए/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 512/2023 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 561/2021 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त नाजिम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 145/2023 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 512/2023 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 722 रजनेश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 12.07.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 312/2024 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2024 को वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.06.2024 को अभियुक्त विनित कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम विराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 363 भादवि बनाम विनित उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 04.07.2024 को अभियोग से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया जा चुका है ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित विनित कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम विराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विनित कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम विराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सोहन सिंह पुण्डीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2527 सतेन्द्र थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 12.07.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 317/24 धारा 498ए/323/304बी भादवि व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2024 को वादी श्री संजय कुमार सैनी पुत्र पुरन सिंह निवासी मौ0 धर्मशाला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सुनील पुत्र सुरेश 2.भोले पुत्र सुरेश 3.रवि पुत्र सुरेश 4.सुरेश पुत्र डालचंद 5.सुषमा पत्नी सुरेश 6.अनिल पुत्र सुरेश 7.ममता पत्नी हरिओम निवासीगण ग्राम वलीपुर गांवडी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री मोनिका को दहेज के लिये प्रताडित करते थे तथा मारपीट करते थे । दिनांक



25.06.2024 को मोनिका के ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए मोनिका को जान से मार दिया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 317/24 धारा 498ए/323/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुनील आदि कुल 07 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त / मृतका के पति सुनील पुत्र सुरेश निवासी ग्राम वलीपुर गांवडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुनील पुत्र सुरेश निवासी ग्राम वलीपुर गांवडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 505 मंजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 12.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 323/2024 धारा 110/115/126(2)/352/105 बी0एन0एस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2024 को वादी श्री फरमान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 03.07.2024 को अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र कलवा निवासी सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.मनोज पुत्र निहाल 3.नन्हे पुत्र नामालूम निवासीगण बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता अब्दुल सत्तार को रास्ते में रोककर गाली – गलौच करते हुए लाठी डण्डो से मारपीट की गयी, जिससे वादी के पिता अब्दुल सत्तार को गम्भीर चोटे आयी तथा मौके पर ही बहोश हो गये । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 323/2024 धारा 110/115/126(2)/352 बी0एन0एस बनाम नाजिम आदि उपरोक्त कुल 03 नफर पंजीकृत किया गया । दिनांक 09.07.2024 को घायल अब्दुल सत्तार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 105 बी0एन0एस की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमलदेव उर्फ नन्हे पुत्र मुरली सिंह निवासी ग्राम पाइन्दापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । अभियुक्त मनोज को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमलदेव उर्फ नन्हे पुत्र मुरली सिंह निवासी ग्राम पाइन्दापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 385 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 12.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गंगाराम पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम मलपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गंगाराम पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम मलपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1753 गुलाब सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 12.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों परविन्द्र पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व नितिन कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तोफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.परविन्द्र पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.नितिन कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तोफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 देवानन्द सैनी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 पवनेन्द्र कुमार कुशवाह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 1657 प्रभात कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 12.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त जिल्लू पुत्र अजीज निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जिल्लू पुत्र अजीज निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. का0 2140 अर्जुनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।